152

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 10 अप्रैल, 1995 (चैत्र 20, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

(1) श्री विष्णु विनायक सर्वटे, भूतपूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा
(2) श्री त्र्यंबकेश्वर प्रसाद दुबे गोंटिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(3) श्री नरेन्द्र सिंह पुरदेव भू.पू.सां.
(4) मोरारजी देसाई भू.पू. प्रधानमंत्री

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल गौर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, भिलाई नगर में एक व्यक्ति की भूख से मौत होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सोबरन सिंह मावई, सदस्य, मुरैना शहर में पीलिया का प्रकोप होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के पूर्वी वन मण्डल के एक बीट गार्ड द्वारा अवैध कटाई कर लकड़ी की बिक्री किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, ग्वालियर नगर में हुजरात थाने में पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, संस्कृति मंत्री, भारत भवन न्यास (निरसन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 15 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

(2) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (सहकारिता), मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 17 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा — (4) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 12 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (5) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 13 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे — (6) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1995 (क्रमांक 14 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. — प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में पदस्थ चिकित्सकों की प्रायवेट प्रेक्टिस पर अंकुश लगाने के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, गौरीशंकर बिसेन, अखण्ड प्रताप सिंह तथा बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 9 अप्रैल, 1995

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा